

...
...
...
... 24/1/19
... की अधि/कर्त

...

... निषेधाज्ञा के तथ्य संक्षेप
... आराजी
... 3
... आराजी है
... दिशा में गैरसायलान
... 0.04 हेक्टर स्थित है
... गैरसायलान नक्शा की
... खसरा नम्बर
... है। इसलिये गैरसायलान को
... जाये।

... प्रार्थना
... कि
... नम्बर
... 1
... 291 की भूमि पर कब्जा कर
... हल्का द्वारा
... गैरसायलान की आराजी खसरा
... मकान बना लिये है। सायलान
... 292 में मकानात बने होना की प्लीडिंग लेकर आये
... प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को
... अस्थाई निषेधाज्ञा

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज
 रतन ~~बनारस~~ अंतरसिंह वगैरा

मु. सं.

गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान वकीलों की बहस सुनी जिसका मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्व रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि आराजी खसरा नम्बर 292 स्थित ग्राम गहनौली तहसील महवा सायलान की खातेदारी की आराजी है इस तथ्य को गैरसायलान ने अपने जबाब में भी स्वीकार किया है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला सायलान के पक्ष में प्रमाणित होता है। यदि गैरसायलान आराजी खसरा नम्बर 292 में सायलान के कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न करते हैं तो सायलान को ही अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं है। सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में ही प्रमाणित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य माना जाता है।

आदेश

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निष्पत्ति स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को वाद पत्र के निर्णय तक वाद खारिज किया जाता है कि ग्राम गहनौली तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 292 में सायलान के कब्जे की स्थिति कायम रहे।